न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दीगोद

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
78/13	12.06.2013	23.02.2018

पीठासीन अधिकारी –तारामती वैष्णव (R.A.S.)

उनवान

कुंज बिहारी पुत्र धूली लाल जाति मीणा निवासी कुराडी तहसील दीगोद जिला कोटा

–वादी/प्रतिपक्षी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा
2. सदर/सचिव, मस्जिद कागजियान कोटडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा

–प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण–

उपस्थित अभिभाषक–

1. श्री शिवप्रसाद शर्मा :–वादी /प्रतिपक्षी की ओर से
2. श्री राजकुमार नंदवाना :–प्रतिवादी नं0 2/प्रार्थी की ओर से

वाद अन्तर्गत धारा 88–89–188 आर0टी0एक्ट में प्रस्तुत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी/प्रतिवादी नं0 2 की ओर से जरिये विद्वान अभिभाषक एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी इस न्यायालय में इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि वादी नें ग्राम कुराडी की विवादग्रस्त 54 बीघा 19 बिस्वा भूमि प्रतिवादी नं0 2 मस्जिद कागजियान कोटडी की खातेदारी में गलत रूप से दर्ज होना मानते हुए तथा स्वयं के द्वारा दिनांक 26.05.1985 को खरीदना मानते हुए एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है। विवादग्रस्त भूमि मस्जिद कागजियान की खातेदारी की वक्फ सम्पत्ति है जो वक्फ सम्पत्ति की लिस्ट में सम्मिलित है तथा वक्फ तथा वक्फ सम्पत्ति के सम्बन्ध में वक्फ एक्ट की धारा 85 के अनुसार केवल मात्र वक्फ ट्रिब्यूनल को ही अधिकार है तथा वादी का वाद इस माननीय न्यायालय में मेन्टेनेबल नहीं है। एडवर्स पजेशन के आधार पर टिनेन्सी एक्ट में खातेदारी देनें का प्रावधान नहीं है तथा वादी नें यह वाद एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी प्राप्त करनें के लिये प्रस्तुत किया है जिससे टीनेन्सी एक्ट में कोई प्रावधान नहीं होनें से वादी का वाद बिना वाद कारण के प्रस्तुत किया गया है तथा वाद बिना वाद कारण के प्रस्तुत होनें से निरस्त होनें योग्य है।

मस्जिद की खातेदारी के सम्बन्ध में टीनेन्सी एक्ट के किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत खातेदारी मस्जिद के अलावा अन्य व्यक्ति को नहीं दी जा सकती है जिससे वादी का वाद कानूनी प्रावधान नहीं होनें से मेन्टेनेबल नहीं है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी ने निवेदन किया कि वाद निरस्त करनें की आज्ञा प्रदान करें।

प्रार्थी/प्रतिवादी नं0 2 की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर वकील वादी/प्रतिपक्षी को प्रार्थना पत्र की प्रति उपलब्ध करवाई गई, वादी/प्रतिपक्षी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब जरिये विद्वान अधिवक्ता पेश कर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 अस्वीकार कर विशेष कथन किये कि प्रतिवादी नें वाद को लम्बा करनें की नियत से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होनें योग्य है। वादी द्वारा माननीय न्यायालय में कानूनी रूप से वाद प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के समस्त प्रावधानों में निहित नहीं होनें से खारिज होनें योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र सद्भाविक रूप से पेश नहीं किया है इस कारण भी खारिज होनें योग्य है। उपरोक्त आराजी सेटलमेंट विभाग द्वारा गलत रूप से मस्जिद के नाम दर्ज की गयी है जबकि उक्त भूमि को पूर्व खातेदार द्वारा प्रार्थी वादी को दिनांक 26.05.1985 को बैचान किया जा चुका है तब से ही उसका लगातार कब्जा चला आ रहा है जिससे एडवर्स पजेशन के आधार पर वादी खातेदार घोषित होनें का अधिकारी है व खातेदारी प्राप्त करनें के लिये माननीय न्यायालय में ही उक्त वाद पोषणीय होनें से पेश किया गया है। अन्य कारण वक्त बहस मौखिक रूप से निवेदन किये जावेंगे।

जवाब प्रस्तुत कर वादी/प्रतिपक्षी ने निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

वाद के क्रम में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी पर उभय पक्ष की बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थी/प्रतिवादी नं0 2 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि वादी द्वारा वाद एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी प्राप्त करनें हेतु प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा अपनें वाद पत्र में कथन किये है कि अब्दुल गनी व वली मोहम्मद द्वारा विवादित आराजी का बैचान वादी को दिनांक 26.05.1985 को कर दिया था, किन्तु वादी द्वारा वाद में बैचानकर्ता को पक्षकार नहीं बनाया है। वर्तमान में विवादित भूमि वक्फ की सम्पत्ति है एवं वक्फ बॉर्ड में रजिस्टर्ड है

तथा वक्फ की सम्पत्ति के सम्बन्ध में केवल वक्फ बॉर्ड को ही अधिकार प्राप्त है, इस न्यायालय में दावा मेन्टेनेबल नहीं है। चूंकि दावा इस न्यायालय में मेन्टेनेबल नहीं है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा खारिज फरमावें। अपनें कथनों के समर्थन में विद्वान वकील द्वारा DNJ 2009 (3) Page No. 1462 एवं DNJ 2011 (SC) Page No. 53 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

विद्वान वकील प्रतिपक्षी/वादी ने बहस में कथन किये कि सेटलमेंट की त्रुटि से विवादित आराजी मस्जिद कागजियान कोटडी के नाम दर्ज कर दी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। दोनों न्यायिक दृष्टान्त सिविल न्यायालय में सिविल प्रकरण से सम्बन्धित है तथा विवादित आराजी कृषि भूमि है तथा सेटलमेंट की त्रुटि को सही करवानें हेतु एसडीओ न्यायालय सक्षम न्यायालय है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। बहस रिपीटल में विद्वान अधिक्ता प्रार्थी द्वारा कथन किये गये कि सेटलमेंट की त्रुटि को दुरूस्त करवानें का अधिकार केवल खातेदार को ही प्राप्त है। प्रतिपक्षी न तो पूर्व में खातेदार थे और न ही भूमि खरीदनें बाबत् कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, वादपत्र में अंकित तथ्य, वादपत्र का आलम्बन, वॉच्छित अनुतोष, प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0, प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य आदि का विधि के सुसंगत प्रावधानों के अनुसरण में सम्यक चिंतन मनन किया गया।

प्रकरणाधीन भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादी नं0 2 अभिलिखित खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है, जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सं0 2069–72 खाता नं0 71 से होती है तथा उक्त भूमि राजस्थान बॉर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ जयपुर की सम्पत्ति में भी पंजीबद्ध है। इस प्रकार विवादित आराजी वक्फ की सम्पत्ति होना प्रमाणित है। वादी नें अपनें वाद पत्र में विवादित भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार की रिलीफ चाही है। वादी द्वारा विवादित आराजी पर पिछले 28 वर्षो से भी अधिक समय से अपना कब्जा होने के कथन किये है, किन्तु प्रतिवादी की ओर से वादी के कब्जें के सम्बन्ध में कोई खण्डन भी नहीं किया है। किन्तु वादी उक्त विवादित आराजी पर किस हैसियत से काबिज चला आ रहा है, प्रमाणित नहीं है।

वकील प्रार्थी/प्रतिवादी नं0 2 द्वारा वक्फ की सम्पत्ति के सम्बन्ध में श्रवणाधिकार वक्फ बॉर्ड को ही होनें के सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त DNJ 2009 (3) Page No. 1462, Anjuman A Burhani V/S Daudi Bohra Jamaet & Anr. प्रस्तुत किया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि "Code of Civil Procedure, 1908-Order 7, Rule 11- Wakf Act, 1955-Sec. 85-Dispute relating to wakf property-Application Rejection-Suit for permanent injunction – Wakf Tribunal had jurisdiction to decide any dispute relation to Wakf property-It cannot be sal that mere suit for injunction does not fall within the jurisdiction of Tribunal and can be tried by Civil Court-Held, Order rejecting application is not sustainable and set aside and civil suit is dismissed."

इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त DNJ 2011 (SC) Page No. 53, Board of Wakf, W.B. V/S Anis Fatma Begum & Anr. भी प्रस्तुत किया है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि "Wakf Act, 1995-Sec. 3 (r), 83, 84- Dispute regarding wakf property- Suit filed in the High Court-Held, Not maintainable- Only Wakf Tribunal has Jurisdiction in the matter relating to wakf property."

इस प्रकार विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों से यह तथ्य प्रमाणित है कि वक्फ की सम्पत्ति के सम्बन्ध में श्रवणाधिकार मात्र वक्फ बॉर्ड को ही प्राप्त है। वक्फ की सम्पत्ति के विवाद को किसी अन्य न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। किन्तु वादी द्वारा वक्फ की सम्पत्ति पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करनें हेतु इस न्यायालय से रिलीफ चाही है।

साथ ही वादी द्वारा विवादित आराजी क्रय किये जानें के कथन किये है किन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे प्रमाणित होता हो कि विवादित आराजी वादी द्वारा क्रय की गई हो।

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों तथा वाद पत्र में वांछित रिलीफ के अनुसरण में चिंतन करनें के उपरान्त हम यह पाते है कि प्रार्थी/प्रतिवादी नं0 2 ने जिस तथ्य को आधार बनाकर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया है, उस पर चस्पा होती है। वादी ने सेटलमेंट की त्रुटि सुधार कर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहा है, किन्तु मूल खातेदार को ही प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है, ऐसी स्थिति में आवश्यक पक्षकार को

पक्षकार नहीं बनाये जानें से भी प्रकरण स्टॉप्ड है। वैसे भी विवादित आराजी वक्फ की सम्पत्ति है, जिसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

वादी के वादपत्र , वादपत्र में अंकित तथ्य, वादपत्र का आलम्बन, वॉच्छित अनुतोष, प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0, प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य आदि के सम्यक अनुशीलन तथा प्रकरण के गुणावगुण पर समुचित मनन के उपरान्त हम यह पाते है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार योग्य है।

अतः **प्रार्थी/**प्रतिवादी नं0 2 **द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाता है।** वाद वादी खारिज़ किया जाता है। आदेश की प्रति सम्बन्धित पत्रावली मि0नं0 78/2013 में संलग्न की जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनॉक 23/02/2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी,
दीगोद